न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(श्री अशोक कुमार त्यागी R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

निर्णय दिनांक :– 03.05.19

मिशल संख्या 379/2016/वाद

उनवानी दावा :

1. भंवरलाल पुत्र मांगीलाल मीणा उम्र 55 वर्ष निवासी बड़ोली तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)
2. जन्सी पुत्र मांग्या उर्फ मांगीलाल मीणा उम्र 55 वर्ष निवासी बड़ोली तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)

– प्रार्थीगण –

बनाम

1. अधीक्षण अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग टोंक, जिला–टोंक (राज.)
2. अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग टोंक, जिला–टोंक (राज.)
3. सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग देवली, जिला–टोंक (राज.)
4. राज्य सरकार जरिये जिला कलेक्टर टोंक (राज.)

– अप्रार्थीगण –

उपस्थिति

श्री प्रकाश चन्द जैन
श्री विरेन्द्र जैन II
अधिवक्तागण वादीगण

श्री बी. पी. विजयवर्गीय
अप्रार्थी संख्या 1 ता 4

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे–काश्त की आराजीयात खसरा नम्बर 578 रकबा 0.24 है0, 579 रकबा 0.27 है0 कल किता–2 कुल रकबा 0.51 है0 भूमि वाके तनग्राम बडोली पटवार तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। जिसका राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के नाम इन्द्राज है। उक्त आराजीयात का प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीगण की उक्त आराजीयात से अप्रार्थीगण नम्बर 1 ता 3 का काई लेना देना नही है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ने बिना प्राथीगण को कोई सूचना व नोटिस दिए ही प्रार्थीगण की कारीब 0.25 है0 भूमि में दूनी से नैनवा रोड का निर्माण कर दिया है। जिससे प्रार्थीगण की उक्त भूमि खुर्द–बुर्द हो गई है तथा काबिल–काश्त नही रही है। अप्रार्थीगण नम्बर 1 ता 3 ने बिना किसी सक्षम आदेश के ही बिना प्रार्थीगण की जानकारी के जबरन उक्त रोड निकाले जाने से प्रार्थीगण की उक्त भूमि दो भागो में बंट गई है तथा प्रार्थीगण काश्तकारी कार्य करने से वचित हो गए है। प्रार्थीगण ने उक्त भूमि पर रोड बनाने से अप्रार्थीगण नम्बर 1 ता 3 को रोका तो अप्रार्थीगण नम्बर 1 ता 3 ने उस समय यह आश्वासन दिया कि हम इस भूमि के बदले आपको राज्य सरकार द्वारा उक्त आराजी की पास वाली आराजी खसरा नम्बर 588 जो गै0मु0 रास्ता है, उसको रास्ते से सिवायचक करवाकर आपके नाम आंवटन करा देंगे। अगर नही करवायेंगे तो

आपको उक्त भूमि का समुचित बाजार दर के अनुसार मुआवजा दिलवाया जायेगा तथा उक्त भूमि के बदले भूमि आंवटन करवा दी जावेगी। प्रार्थीगण ने सार्वजनिक हित को देखते हुए अप्रार्थीगण नम्बर 1 ता 3 की बात मान ली है। जबकि आज–तक प्रार्थीगण आज तक भी भूमि आंवटन नही किया गया है और लगातार प्रार्थीगण की भूमि में निर्माण सामग्री डालकर निर्माण किया जा रहा है। जबकि अप्रार्थीगण द्वारा किसी भी प्रकार से प्रार्थीगण की भूमि को वैधानिक प्रक्रिया नही अपनाकर भूमि अधिग्रहण नही की है। इस कारण अप्रार्थीगण को जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि स्वयं जरिए अधिनस्थ कर्मचारी/अधिकारियों के माध्यम से प्रार्थीगण की भूमि में भविष्य में रोड का निर्माण कार्य नही करे, बने हुए रोड पर भविष्य में किसी प्रकार का आवगमन नही करे, प्रार्थीगण के उपयोग–उपभोग में बाधा उत्पन्न नही करे तथा पाबन्द रहे एवं अप्रार्थीगण नम्बर 1 ता 3 को जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे प्रार्थीगण की भूमि में डाली गई निर्माण सामग्री का अपने स्तर पर हटा लेवे तथा भूमि की ऐवज में भूमि आंवटन करवाये तथा मुआवजा राशि दिलवाई जावे तथा आदेशित रहे। यदि अप्रार्थीगण को उक्तानुसार पाबन्द व आदेशित नही किया गया तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति किया जाना किसी भी रूप में सम्भव नही होगा।

अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 के विरूद्ध जवाब बन्द किया गया। पत्रावली बहस में नियत की गई।

वादी अभिभाषक की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने वाद के तथ्यो को ही दोहराते हुए बताया कि वर्तमान में रोड़ बन चुका है परन्तु आगे नही बने इस हेतु अप्रार्थीगण को जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने की प्रार्थना की।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। अवलोकन व अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस से ज्ञात हुआ है कि उक्त आराजी भूमि में रोड़ बन चुका है। यदि उक्त भूमि में अप्रार्थीगण को पाबन्द करवाना था तो रोड़ बनने से पूर्व ही वाद व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश करना चाहिए था जो कि नहीं किया तथा ऐसा कोई दस्तावेज भी पेश नहीं किया कि उक्त रोड़ प्रार्थीगण की भूमि में से ही निकाला जा रहा है। अतः ऐसी स्थिति में सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत नहीं होते है। अतः दस्तावेजो द्वारा साबित नहीं करने के आधार पर प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फेसल शुमार होंकर दावे के साथ संलग्न हो।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांक ०३·०८·१९ को सुनाया गया।

आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी देवली